



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हृष्ट हो रहा है, कि न्यासाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्व का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 11 अक्टूबर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए || वर्ष-02, अंक- 15

महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यों को अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती पड़ेगी महंगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि अब अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ने पर राज्यों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर आगे 5 साल के लिए नई दर तय कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए पांच साल के लिए तय की गई खर्च की रकम के संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों को अर्धसैनिक बलों की जरूरत होगी, उन्होंने अब अब 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। मसलन वर्ष 2018-19 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 13 करोड़ देने होंगे, वहाँ हाई स्पिक और हाई शिप में एरिया के लिए 34 करोड़ सलाना देने होंगे। वर्ष 2023-24 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 22 करोड़ देने हैं, वहाँ हाई स्पिक और हाई शिप में एरिया के लिए करीब 42 करोड़ सलाना देने होंगे। केन्द्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे राज्य हैं जिन पर अर्धसैनिक बलों का करोड़ों रुपये बकाया है जिन्होंने पिछले लंबे वर्ष से पैसे नहीं चुकाए हैं।

राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कोर को कलर प्रदान किया

नासिक (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी एविएशन कोर को नासिक में गुरुवार को कलर प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आर्मी एविएशन कोर को विशिष्ट शौर्य और उद्देश्यनीय सेवा के लिए 273 सम्पान और पुरस्कर मिल चुके हैं। इससे कोर के जवानों की असाधारण बहादुरी और जोश का पता चलता है और यह हमारी सशस्त्र सेनाओं के सभी सैनिकों और अधिकारियों के लिए एक अदर्श है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन में सोमालिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में कार्य करते समय इहोंने हमारे देश के उत्कृष्ट राजदूतों की भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके खून और बलिदान ने हमारी प्रभुसत्ता की क्षमा की और देश को गौरवान्वित किया है। उहोंने कहा कि आर्मी एविएशन कोर के सदस्य सबसे कठिन क्षेत्रों और खारब मौसम में सच्ची ताकत बनकर उभरते हैं। भारतीय सेना और देश को उन पर गर्व है।

एनएफएल ने भारत सरकार को 28.22 करोड़ का लाभांश दिया

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार को 28.22 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रमोद मिश्रा ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा को 28.22 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक सचिव छवीलेंद्र राजु, मंत्रालय तथा एनएफएल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि एनएफएल केंद्र सरकार को बेचे गए 490.58 करोड़ रुपए के शेयरों के बदले अब उनके अंतर्गत कुल 1156.97 करोड़ रुपए का लाभांश दे चुकी है।

भाजपा सांसद चलाएंगे

जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के विधायकों सहित प्रदेश और जिलों के नेताओं को गांव-गांव जाकर जनसंख्या नियंत्रण पर जन-जागरण मुहिम चलाने को कहा है। यह जन-जागरण अधियान मौजूदा समय में चल रही गांधी संकल्प यात्रा के तहत 31 अक्टूबर तक किया जाना है। भाजपा मुख्यालय से पार्टी नेताओं को जारी यह निर्देश इस मायने में भी खास है कि कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने और तीन तलाक बिल के बाद से अटकलें लग रही है कि मोदी सरकार का अगला कदम जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ हो सकता है। आईएनएस के पास मौजूद पार्टी के पत्र में कहा गया है, 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इंडी की अर्जी पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। इंडी ने 5 सितंबर को दिए गए विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें चिंदबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत को मंजूरी दी गई थी। इंडी ने 5 सितंबर को दिए गए विशेष अदालत के बारे में जांच के घोरे में हैं।

कहा था, गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इन्होंने ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। चिंदबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरप्रेस मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घोरे में हैं।

कहा था, गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इन्होंने ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। चिंदबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरप्रेस मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घोरे में हैं।

भारत सौर ऊर्जा में पांचवें व पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर

नई दिल्ली (आरएनएस)। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने पर संशय जाहिर करने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया।

नई दिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बायान में वर्ष 2022 तक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 1, 75,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने संबंधी किसिल रिपोर्ट पर आधारित मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट पर खंडन जारी किया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त न करने संबंधी रिपोर्ट



आधारहीन है और वस्तुस्थिति को सही रूप से प्रतीत करने वाली नहीं करती।

सितंबर 2019 के अंत तक भारत में 82,580 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की विस्तृति को प्राप्त करने की जा

चुकी है और विभिन्न चरणों में हैं जिन्हें सितम्बर 2021 तक स्थापित कर दिया जायेगा। इससे कुल लक्ष्य के 87 प्रतिशत से अधिक क्षमता की स्थापना हो सकेगी। वर्तमान में 23,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बोली बची रही है और भारत को विश्वास है कि भारत 1,75,000 मेगावाट की क्षमता न सिर्फ स्थापित करेगा बल्कि इससे अधिक अच्छा प्रदर्शन करेगा।

मंत्रालय ने इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न मौद्रों का समाधान करने के लिए कार्रवात रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के विकासक, निवेशक और अन्य भागीदारों ने पारदर्शी निविदा

प्रणाली और अचित दरों पर बिजली खरीद में सुविधा के लिए मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना की है। इसके फलस्वरूप सौर और पवन ऊर्जा के शुल्क में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। वर्ष 2016 में जहां पवन ऊर्जा 4.18 रुपए की दर पर थी वह गत वर्ष घटकर 2.43 रुपए रह गई और यह आज भी 2.75 प्रति यूनिट से कम है। सौर टेरेफ 4.43 रुपए प्रति यूनिट (वीजीएफ के साथ) से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट रह गई है।

मार्च, 2014 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 138 प्रति यूनिट की वृद्धि के साथ 34,000 मेगावाट से बढ़कर 82,580

लिया था। यह धारा आपाराधिक मानवानि के मामले से संबंधित है। जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में पूर्णश मोदी ने कहा था कि कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानवानि की है।

जात हो कि केरल के वायानाड से सांसद राहुल गांधी को आपाराधिक नामनामी के दौरान में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में पूर्णश मोदी ने कहा था कि कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानवानि की है।

न्यायिक माजिस्ट्रेट बीच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी के लिए एक अपाराधिक मानवानि को समन जारी किया था। इसी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी के स्थानीय विधायक पुरेश मोदी ने आपाराधिक मानवानि को अपाराधिक मामला दायर किया था।

कर्नाटक के कोलार में एक

कोर्ट में पेश हुए राहुल, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट में पेश हुए राह